फर्द अहकाम

...लय ______________________________

______________________ बनाम ______________________

...ा संख्या /वर्ष : ______________ /20 ______

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
3.8.2022	पत्रावली पेश हुयी। वकील वादी व प्रतिवादी उपस्थित है। पक्षकारान वकील की बहस प्रा.पत्र आदेश 7 नियम 11 की सुनी गई। वास्ते आदेश पत्रावली दिनांक 17.8.2022 को पेश हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी, उपखण्ड, चाकसू (जयपुर)	
17.8.2022	पत्रावली पेश हुयी। पक्षकारान वकील उपस्थित। समयाभाव के कारण आदेश सुनाया नहीं जा सका। वास्ते आदेश दिनांक 7.9.2022 को पेश हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड, चाकसू (जयपुर)	
7.9.2022	पत्रावली पेश हुयी। पक्षकारान वकील उप० है। बहस पक्षकारान वकील पर गौर किया व प्रा.पत्र जवाब प्रा.पत्र आदेश 7 नियम 11 एवं पत्रावली का परीक्षण किया गया। दोनों से बहस वकील प्रार्थी/प्रतिवादी ने प्रा.पत्र आदेश 7 नियम 11 का समर्थन करते हुए कथन किया कि दावा इकरारनामा पर वर्ष 2014 के आधार पर घोषणा का किया गया है जो इस न्यायालय को सुनने का अधिकार नहीं है एवं इकरारनामे की मियाद भी पूर्ण हो चुकी है। एवं वादग्रस्त भूमि का तकासमा वर्ष 2016 में ही हो चुका इसलिए दावा वादी बाधित ला होने से खारिज योग्य है। इस बाबत 2017 (2) RRT-P-1100 व 2017 (1) D/NGP-1 की नजीर का हवाला दिया है। जवाब बहस में [illegible] मे जवाब प्रा.पत्र [illegible] हुए प्रा.पत्र खारिज [illegible] इस बाबत R.R.T 2021 (2) ईमानी [illegible] V/S गुरदेव सिंह पेज 991, R.R.T. 2019 (1) पेज 42 (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड, चाकसू (जयपुर)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Ashok Kumar
Date: 2022.12.14 12:42:38 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

आज्ञा विस्तृत रूप से

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
		गीतादेवी बनाम पुष्पचन्द व R.R.T. 2019 (1) पेज 264 सुखराम बनाम लक्ष्मीदेवी की नजीर पेश की। हमने वकील पक्षकारान पर गौर किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया तो वादी द्वारा इकरारनामा बिचौटी दि. 13.3.14 व दिनांक 5.7.14 के आधार पर [illegible] स्वयं को खातेदार घोषित करवाने का प्रस्तुत किया गया है जबकि इकरारनामे के आधार पर किसी भी व्यक्ति को खातेदार घोषित किये जाने का न्यायालय राजस्व को अधिकार नहीं है। वादी द्वारा इकरारनामे के आधार पर खातेदारी का अनुतोष चाहा गया है। विधिक इकरारनामे की पालना कानूनन सिविल न्यायालय में इकरारनामे की पालना का दावा पेश कर अनुतोष प्राप्त किये बिना खातेदारी अधिकार कानूनन प्रदान नहीं किये जा सकते। वादी ने अप्रत्यक्ष रूप से इकरारनामे की पालना व खातेदारी अधिकार चाहे हैं जो कानूनन न्यायालय राजस्व इकरारनामे के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान करने का क्षेत्राधिकार न्यायालय राजस्व को नहीं है। वादी द्वारा प्रस्तुत इकरारनामा एक दूसरे के विरोधाभासी है। वादी द्वारा प्रस्तुत इकरारनामे वर्ष 2014 का है जो 8 वर्ष पुराने है। वादग्रस्त भूमि का तकासमा 2016 में ही हो चुका। इस प्रकार भी वादी को वादग्रस्त भूमि का तकासमा 2016 में हो जाने से किसी प्रकार का वाद कारण उत्पन्न नहीं हुआ। ना ही वादी का वाद मियाद में है क्योंकि इकरारनामा 2014 का है जो 8 वर्ष हो चुके जबकि मियाद 3 साल है। ना ही वादग्रस्त [illegible] पर वादी का किसी प्रकार का [illegible]। इस प्रकार वादी इकरार[illegible] न्यायालय से किसी प्रकार का अनुतोष न्यायालय क्षेत्राधिकार से बाहर का होने से नहीं दिया जा सकता। इस प्रकार वादी का वाद

उपखण्ड अधिकारी (जयपुर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Ashok Kumar
Date: 2022.12.14 12:42:38 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

फर्द अहकाम

बनाम

लय

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	विधि विरुद्ध एवं धारा 207 R.T.Act के तहत बाई बाईला होने के कारण स्वीकार योग्य होने एवं प्रार्थी प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 का स्वीकार किया जाना उचित समझते है। प्रार्थी प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत नजीरें 2017(2) R.R.T P-1100 भाखरराम बनाम सूजाराम व 2017(1) D.N.G.P.1 की नजीर भली प्रकार से चस्पा होने से प्रार्थी प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 का उपरोक्त विवेचन अनुसार स्वीकार किया जाता है। प्रा. पत्र स्वीकार किये जाने से दावा वादी खारिज किया जाता है। निर्णय अनुसार डिक्री जारी हो। फिगावली वाद तकमील याखिल दफ्तर हो।	

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड, चाकसू (जयपुर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Ashok Kumar
Date: 2022.12.14 12:42:38 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner